



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 224 राँची, शुक्रवार, 8 जेष्ठ, 1942 (श०)
29 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना
21 मई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-164/2016-5467 (HRMS)--श्री अरुण कुमार खलखो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-865/03), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, कोडरमा को बिना सूचना के लम्बी अवधि तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं कार्यालय अवधि में शराब का सेवन करने से संबंधित गंभीर आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0-7630, दिनांक 29.06.2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया।

2. संबंधित आरोपों के लिए श्री खलखो के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-1758 (hrms), दिनांक 15.04.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-280, दिनांक 07.11.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत, श्री अरुण कुमार खलखो, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, कोडरमा, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	ARUN KUMAR KHALKHO (JHK/JAS/22)	श्री अरूण कुमार खलखो, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, कोडरमा, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	21/05/2020

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
